

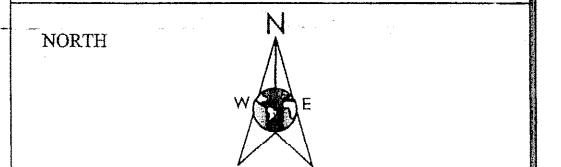
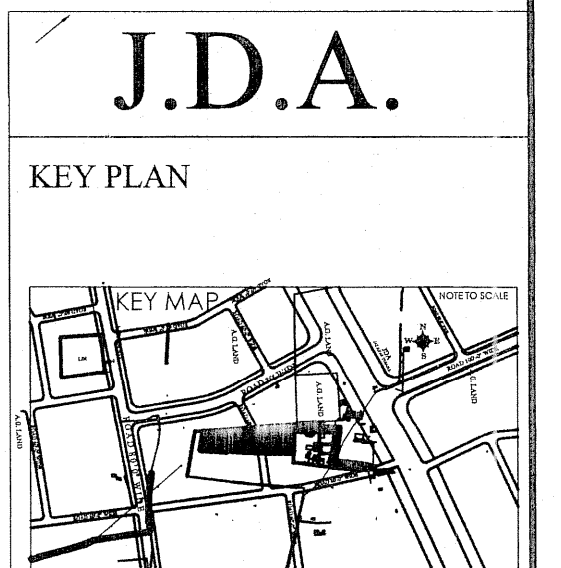
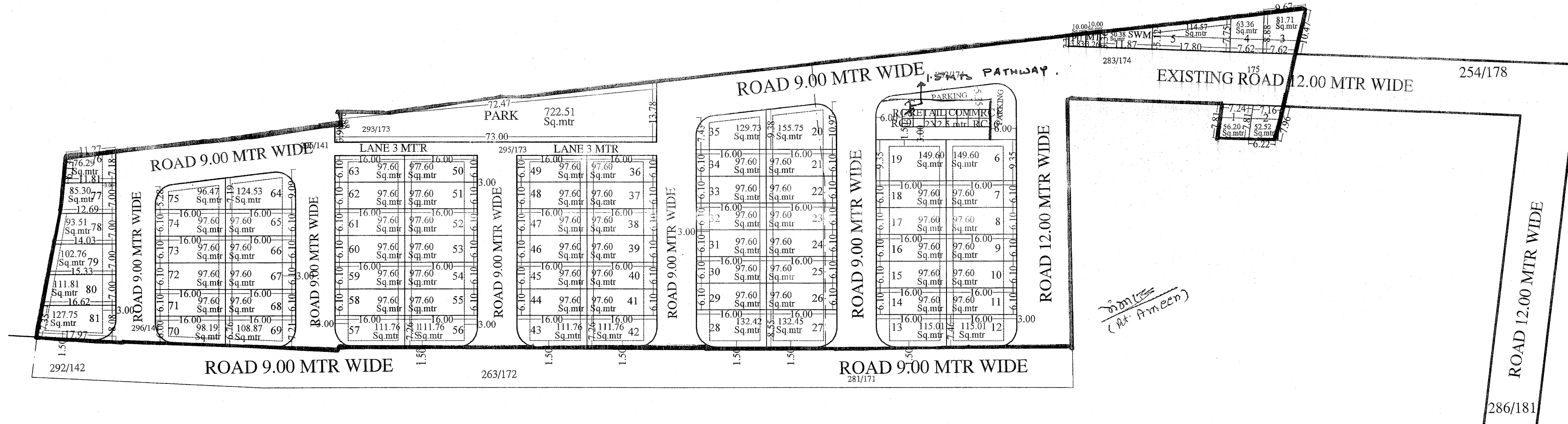
PROPOSED LAY OUT PLAN OF SCHEME
GOVIND NAGAR

IN KHASRA-296/141,297/141,293/173, 294/173,295/173,285/174,282/174,283/174,175
AT VILLAGE -BADRAMJANIPURA,CHAKSU,JAIPUR



1237
B
20.3.23

SCALE:-1=750



मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग
मुख्यों की निर्धारित स्थिति :-
1. आवासीय भूखण्ड - / वाणिज्यिक
2. खुदरा वाणिज्यिक भूखण्ड -

नोट:-
योजना के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी विवरण :-

S.NO.	LANDUSE	AREA(In Sq.mtr)	%
1	RESIDENCY	8187.24	56.9%
2	RETAIL COMM.	80.00	00.54%
3	SWM&MT+PU	70.38	00.49%
4	PARK	722.51	05.02%
5	ROAD	5320.81	37.04%
6	SCHEME AREA	14380.94	100.00%

योजना की भूमि की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90-A की
करवैधता एवं मोके पर भूमि का प्रभावीकरण भेदे द्वारा किया गया
योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।
नाम
तहसीलदार
उपमुख्यतः जे.न.

NAME OF SCHEME :- GOVIND NAGAR

ZONE NO. :- 14

A.T.P. ZONE D.T.P. S.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

- नोट:-
- राजस्र ग्राम मादरमजानीपुरा तहसील चकसु के कुल किला 09 रकबा 01.43 हेक्टर, भूमि की 90ए आदेश क्रमांक LU/2012/JDA/2022-23/01596 दिनांक 29.09.2022 को की गई है जिसकी प्रति 90/सी पर संलग्न है।
 - योजना की भूमि में रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मोके पर प्रभावीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
 - योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल डवलपमेंट प्लान प्लानिंग जोन-08 के अनुसार भू-उपयोग आवासीय एवं आंशिक पब्लिक सेमी-पब्लिक दर्शित है।
 - बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जविषा की प्राधिकरण की 61वीं बैठक दिनांक 13.10.2012 के कार्यवाही विवरण के क्रम संख्या-06 "जयपुर मास्टर विकास योजना-2025 में 'I' न्यायित भू-उपयोगों के संबंध में" लिये गये निर्णय अनुसार यदि किसी विशिष्ट भूखण्ड में निम्न-निम्न भू-उपयोग अंकित हो गये हैं, तो भू-उपयोग का निर्धारण करते समय प्रमुख उपयोग के अनुसार ही उस भूखण्ड का भू-उपयोग मान्य किया जाना है। अतः आवेदित भूमि के मास्टर प्लान-2025 के भू-उपयोग में अनुज्ञेय आवासीय एवं आंशिक पब्लिक सेमी पब्लिक उपयोग के मांग को प्राधिकरण की 61वीं बैठक दिनांक 13.10.2012 के कार्यवाही विवरण अनुसार प्रस्तावित भूमि का अधिकतम भू-उपयोग आवासीय होने के क्रम में संपूर्ण भूमि का भू-उपयोग आवासीय उपयोग के अंतर्गत माना जाने की संमति द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
 - योजना गोविन्द नगर का अनुमोदन बीपीसी(एलपी) की 328वीं बैठक दिनांक 30.11.2022 में किया गया है। जिसकी अनुमोदना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
 - योजना मानचित्र टैंडनरिप सॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
 - प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर जविषा विनियम 2020 के अनुसार देय होंगे।
 - आन्तरिक विकास शुल्क की एवज में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड रचना रखे जाते हैं:-
भूखंड 1, 2, 3, 4, 5, 21, 76, 77, 78, 79, 80, 81 कुल भूखण्ड 12 कुल क्षेत्रफल 1063.33 वर्गमीटर

13/3/23
13/3/23
13/3/23